<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

1. संसद का शीतकालीन सत्र, 2017, जो शुक्रवार, 15 दिसंबर, 2017 को आरंभ हुआ था, शुक्रवार, 5 जनवरी, 2018 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 22 दिनों की अवधि में कुल 13 बैठकें हुईं।

2. सत्र के दौरान, 17 विधेयक (सभी लोक सभा में) पुर:स्थापित किए गए। सत्र के दौरान लोक सभा ने 13 विधेयक और राज्य सभा ने 9 विधेयक पारित किए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 13* विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान पुर:स्थापित किए गए, विचार और पारित किए गए विधेयकों के नामों की सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

3. लोक सभा की उत्पादिता 91.58% और राज्य सभा की 56.29% रही।

4. सत्र के दौरान, वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का दूसरा और तीसरा बैच तथा उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर लोक सभा में चर्चा की गई और उन्हें पारित किया गया। इन विधेयकों को राज्य सभा में भेजा गया जहां उन्हें विचारण के लिए नहीं लिया जा सका और चूंकि राज्य सभा में उनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर उनके लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत इन विधेयकों को उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया माना जाएगा जिस रूप में उन्हें लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

5. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए अध्यादेशों अर्थात माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अध्यादेश, 2017, भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017, और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को प्रतिस्थापित करने वाले तीन विधेयकों पर लोक सभा में विचार किया गया और पारित किया गया। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला केवल एक विधेयक अर्थात माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017 राज्य सभा में नहीं लिया जा सका। चूंकि यह विधेयक एक धन विधेयक है और राज्य सभा में उसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर उसके लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत इस विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया माना जाएगा जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017 और भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017 को दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।

7. लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं, दक्षिण भारत में ओखी चक्रवात के विशेष संदर्भ में एक अल्पावधि चर्चा हुई।

8. राज्य सभा में, नियम 176 के अंतर्गत (i) दिल्ली में वायु प्रदूषण के अत्यंत उच्च स्तर; (ii) देश में अर्थव्यवस्था, निवेश के वातावरण और रोजगार सृजन तथा बढ़ती बेरोजगारी की चुनौती से निपटने की आवश्यकता पर दो अल्पावधि चर्चाएं हुई।

9. राज्य सभा में एक पुराने लंबित विधेयक अर्थात उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 को वापस लिया गया।

***

LEGISLATIVE BUSINESS TRANSACTED DURING THIRTEENTH SESSEION OF SIXTEENTH LOK SABHA AND 244TH SESSION OF RAJYA SABHA (WINTER SESSION, 2017)

I – BILLS INTRODUCED IN LOK SABHA

1. The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill 2017
2. The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017
3. The Dentists (Amendment) Bill, 2017
4. The Indian Forest (Amendment) Bill, 2017
5. The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017
6. The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Condition of Services) Amendment Bill, 2017
7. The Specific Relief (Amendment) Bill, 2017
8. The Central Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill, 2017
9. The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017
10. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017
11. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017
12. The Appropriation (No.5) Bill, 2017
13. The National Medical Commission Bill, 2017
14. The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2018
15. The Consumer Protection Bill, 2018
16. The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018
17. The Appropriation Bill, 2018

II – BILLS PASSED BY LOK SABHA

1. The Repealing and Amending Bill, 2017
2. The Repealing and Amending (Second) Bill, 2017
3. The Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017
4. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017
5. The Indian Forest (Amendment) Bill, 2017
6. The Appropriation (No.5) Bill, 2017
7. The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017
8. The Central Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill, 2017
9. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017
10. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017
11. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017
12. The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Condition of Services) Amendment Bill, 2017
13. The Appropriation Bill, 2018

III – BILLS PASSED BY RAJYA SABHA

1. The Companies (Amendment) Bill, 2017
2. The Indian Institute of Management Bill, 2017
3. The Indian Forest (Amendment) Bill, 2017
4. The Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE) Bill, 2017
5. The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017
6. The Repealing and Amending Bill, 2017
7. The Repealing and Amending (Second) Bill, 2017
8. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017
9. The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017

IV – BILLS PASSED BY BOTH HOUSES OF PARLIAMENT

1. The Companies (Amendment) Bill, 2017

2. The Indian Institute of Management Bill, 2017
3. The Indian Forest (Amendment) Bill, 2017
4. The Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE) Bill, 2017
5. The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017
6. The Repealing and Amending Bill, 2017
7. The Repealing and Amending (Second) Bill, 2017
8. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2018
9. The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2018
10. #The Central Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill, 2017
11. #The Appropriation (No.5) Bill, 2017
12. #The Appropriation Bill, 2018
13. #The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Condition of Services) Amendment Bill, 2017

V – BILLS WITHDRAWN

1. The Consumer Protection Bill, 2015

The Bills, as passed by Lok Sabha and transmitted to Rajya Sabha for its recommendation, is not likely to be returned to Lok Sabha within the period of fourteen days from the date of its receipt in Rajya Sabha. The Bills will be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which they were passed by Lok Sabha under clause (5) of article 109 of the Constitution.